राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 1(16) ग्रावि/नरेगा/वार्षिक कार्य योजना–2020–21 जयपुर, दिनांक : 13 AUG 2019

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट का अनुमोदन दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 02 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित की जाने वाली ग्राम सभाओं में कराने बाबत।**

प्रसंगः– **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर सकुर्लर 2019–20 में दिये गये प्रावधान।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के कियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर सकुर्लर 2019–20 के अध्याय 6 में दिये गये प्रावधानानुसार वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं अनुमानित श्रम बजट तैयार किया जाना है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामवार Shelf of Projects तैयार किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे है। मास्टर सकुर्लर में उल्लेख है कि "ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजनाओं की सूची रोजगार की अनुमानित मांग से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए"। अतः वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्व ग्रामवार पिछले वर्षों की मांग के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कम से कम दोगुनी संख्या में कार्य उपलब्ध हों। इस हेतु सामुदायिक विकास के कार्य यथा परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण, चारागाह विकास के कार्य, जलग्रहण विकास कार्य, सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई, नालियाँ, सिंचाई नहरे, तालाब की खुदाई आदि तथा वृक्षारोपण एवं बागवानी कार्य, सिंचाई हेतु फॉर्म पौण्ड, डगवैल तथा परती एवं बंजर भूमि विकास कार्य आदि। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु खेल मैदान एवं श्मशान विकास कार्य लिए जाने चाहिए।

योजनान्तर्गत कुल व्यय राशि की कम से कम 60% राशि कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर तथा मिशन जल संरक्षण ब्लॉक में कुल व्यय राशि की कम से कम 65% राशि प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्यों पर व्यय किये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये गये है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची–1 पर उल्लेखित अनुमत कार्यों की श्रेणी 'ए' एवं 'बी' के अधिकांश कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्यों की श्रेणी में आते है, जिनमें मुख्यतः जल संरक्षण एवं जल संग्रहण कार्य जैसे एनीकट, अर्दन डेम, चैकडेम आदि,योजनान्तर्गत विभिन्न वित्तीय संसाधनों का कन्वर्जेन्स कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं का अधिक से अधिक निर्माण किया जा सकता है, ताकि प्रत्येक गाँव पेयजल एवं सिंचाई सुविधा में आत्मनिर्भर हो सकें, क्षेत्र के भू–जल स्तर में वृद्धि हो एवं गिरते भू–जल के स्तर में कमी लाई जा सके तथा गाँव के सिचांई क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी हो।

राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत के NRM कार्यों के क्रियान्वयन हेतु योजना बनाने के लिए GIS तकनीक का उपयोग कर एकीकृत NRM प्लान बनाये गये है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों का चयन कर उनके GIS Based प्लान तैयार कर लिए गये है, जिनको आगामी 3 वर्षों में पूर्ण रूप से Saturate किया जाना है, जिसकी योजनाएँ वित्तीय वर्ष 2019–20 में तैयार की जाकर क्रियान्वित की जा रही है।

योजनान्तर्गत समस्त ग्राम पचायतों में जीआईएस आधारित आईएनआरएम प्लान अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार की जावे। इस कम में यदि पूर्व में तैयार किये गये आईएनआरएम प्लान में कोई गतिविधि शामिल करनी हो, तो उसे शामिल करते हुए पूर्व में तैयार जीआईएस प्लान में आवश्यक संशोधित कर लिए जावे। **दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 02 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित की जाने वाली विशेष ग्राम सभाओं में** प्रस्ताव प्राप्त कर कार्य योजना का विभिन्न स्तर से अनुमोदन पश्चात ग्राम पंचायतवार ऑनलाईन एन्ट्री पूर्ण

Scanned by CamScanner

किया जाना सुनिश्चित करावें। इस वर्ष आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए निम्न समय–सीमा अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जावे :–

क्र.सं.	की जाने वाली कार्यवाही	समयावधि
1	ग्राम सभा में योजनान्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्यो एवं श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी जावे। मिशन जल संरक्षण अन्तर्गत ली जाने वाली प्रमुख INRM गतिविधियों, उनके क्षेत्र एवं लिए जाने वाले कार्यो के चयन के संबंध में ग्राम सभा/वार्ड सभा में चर्चा एवं अनुमोदन। ग्राम पंचायत स्तरीय श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना 2020–21 का अनुमोदन	15.08.2019 से 02.10.2019 तक
2	ग्राम पंचायत से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदन हेतु पंचायत समिति की साधारण सभा में प्रस्तुत करना।	10.10.2019 तक
3	पंचायत समिति द्वारा ब्लॉक स्तर पर समेकित की गई वार्षिक योजना का अनुमोदन तथा इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को प्रेषित करना (ब्लॉक स्तर के लिए प्रस्तावित सभी प्रोजेक्ट सहित समेकित श्रम बजट ब्लॉक पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत से अनुमोदित होना चाहिए)	30.10.2019 तक
4	ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य योजना का निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुतीकरण।	05.11.2019 तक
5	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला परिषद में वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट प्रस्तुत किया जाना (जिले के लिए प्रस्तावित सभी प्रोजेक्ट जिला स्तर पर अनुमोदित होने चाहिए)।	15.11.2019 तक
6	जिला परिषद द्वारा जिला वार्षिक योजना को मंजूरी देना तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक/ अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्यक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण।	30.11.2019 तक

वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जावे :–

1 व्यक्तिगत लाभ के कार्यो में व्यक्तिगत भूमि पर एनआरएम गतिविधियाँ, कृषि एवं उनसे संबंधित गतिविधियाँ तथा आजीविका से सम्बन्धित गतिविधियां सम्मिलित की जावे।
2 एनआरएम कार्यों का जिला सिंचाई योजना में समन्वयन
3 जिला स्तर पर श्रम एवं सामग्री का 60:40 में अनुपात सुनिश्चित करना
4 SHGs, CFT एवं CBOs की भागीदारी।
5 भूमिहीन एवं Manual Casual Labour परिवार को प्राथमिकता।

भवदीय,

(पूर्ण चन्द्र किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4 संयुक्त शासन सचिव, पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर लेख है कि दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 2 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित किये जा रहे अभियान में होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के एजेण्डा में योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना 2020–21 तैयार करने संबंधी बिन्दु शामिल करने का श्रम करावें।
5 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6 अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7 रक्षित पत्रावली।

परि0 निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner